



तत् त्वं पूषन् अपावृणु

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA
SANGATHAN


GUIDELINES FOR ADMISSIONS

IN

KENDRIYA VIDYALAYAS

(2017-18)

Handwritten notes in the left margin:
Mohan
नमो
रुद्र
३५१



सर्वं सर्वं सुखं भाष्यते
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

हेतु

दिशा-निर्देश

(2017-18)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

नई दिल्ली

विषय सूची

भाग-क सामान्य दिशा-निर्देश

भाग-ख विशेष प्रावधान

भाग-ग प्रवेश प्रक्रिया

केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश

भाग-क

सामान्य दिशा-निर्देश

1. केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पूर्व में जो भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं उनको निरस्त करते हुए शिक्षा सत्र 2017-18 से प्रभावी निम्नलिखित दिशा-निर्देश विद्यालयों में प्रवेश नियमितीकरण हेतु जारी किए जाते हैं। ये दिशा-निर्देश विदेश स्थित केंद्रीय विद्यालयों पर लागू नहीं हैं।

2. परिभाषाएं :-

जब तक संदर्भ से दूसरी बात अपेक्षित न हो, इन दिशा-निर्देशों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दावलियों की परिभाषा इस प्रकार से होगी:-

- (i) केंद्रीय सरकार के कर्मचारी :- कर्मचारी, जो भारत की समेकित निधि से अपनी परिलब्धियां प्राप्त करता है।
- (ii) स्थानांतरणीय : कर्मचारी, जो पूर्वगामी 7 वर्षों में कम से कम एक बार स्थानांतरित हो चुका है, उसे स्थानांतरणीय माना जाएगा।
- (iii) स्थानांतरण : कर्मचारी को स्थानांतरित तब माना जाएगा यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उसे एक स्थान/शहरी संकुल से दूसरे स्थान/शहरी संकुल में स्थानांतरित कर दिया गया है और जो स्थान कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा एक स्थान पर ठहराव की अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए।
- (iv) स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम: भारत सरकार द्वारा पूर्णरूपेण वित्तपोषित अथवा सरकार के 51 प्रतिशत से अधिक हिस्सेधारी वाले स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ही इस वर्ग में माना जाएगा।
- (v) इकलौती कन्या संतान : वह संतान जो इकलौती कन्या हो एवं उसका कोई सहोदर भाई या बहन न हो।

3. प्रवेश में प्राथमिकताएं :

प्रवेश प्रदान करते समय निम्नलिखित प्राथमिकताओं का अनुपालन किया जाएगा :

क. सिविल/ रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय :

1. पूर्व-सैनिकों के बच्चों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं।
2. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
3. राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
4. राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

5. किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चें भी सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते हैं। विदेशियों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रतिकारत सूची में कोई भी भारतीय शेष न हो।

टिप्पणी : बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता अभिभावकों के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी।

ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय :-

1. विद्यालय को प्रायोजित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चें एवं उनके पौत्र/पौत्रियां, प्रोजेक्ट कर्मचारियों और ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी जो अनुसंधान परियोजना के लिए दीर्घ अवधि तक कार्य करते हैं के बच्चे, वार्डन परिषद के नियमित कर्मचारियों (सीओडब्ल्यू) के बच्चें एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे एवं उनके पौत्र/पौत्रियों ।

टिप्पणी : प्रवेश में सेवारत कर्मचारियों के बच्चों, सेवारत कर्मचारियों के पौत्र/पौत्रियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र/पौत्रियों को उसी अनुक्रम में प्राथमिकता दी जाएगी ।

2. पूर्व-सैनिकों के बच्चो सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं।

3. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

4. राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

5. राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

6. किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चें भी सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते हैं। विदेशियों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रतिकारत सूची में कोई भी भारतीय शेष न हो।

टिप्पणी : बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता अभिभावकों के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी।

4. प्रवेश के लिए पात्र आयु:-

जिस शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षा-1 में प्रवेश मांगा जा रहा है उस वर्ष की 31 मार्च को बच्चे की आयु पांच वर्ष की होनी आवश्यक है (जिस बच्चे की जन्मतिथि 1 अप्रैल हो उस पर भी विचार किया जाए)।

क. केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु इस प्रकार होगी: (जिस बच्चे की जन्मतिथि 1 अप्रैल हो उस पर भी विचार किया जाए)।

कक्षा	जिस वर्ष के लिए प्रवेश मांगा जा रहा है उसकी 31 मार्च को बच्चे की न्यूनतम आयु	जिस वर्ष के लिए प्रवेश मांगा जा रहा है उसकी 31 मार्च को बच्चे की अधिकतम आयु
I	5 वर्ष	7 वर्ष
II	6 वर्ष	8 वर्ष
III	7 वर्ष	9 वर्ष
IV	8 वर्ष	10 वर्ष
V	9 वर्ष	11 वर्ष
VI	10 वर्ष	12 वर्ष

VII	11 वर्ष	13 वर्ष
VIII	12 वर्ष	14 वर्ष
IX	13 वर्ष	15 वर्ष
X	14 वर्ष	16 वर्ष

टिप्पणी: (क) विकलांग बच्चों को अधिकतम आयु में दो वर्ष की छूट प्राचार्य द्वारा ही दी जा सकती है।

ख. कक्षा -11 में प्रवेश के लिए आयु का कोई सीमा नहीं है बशर्ते कि संबंधित विद्यार्थी कक्षा 10 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष में प्रवेश चाह रहा हो। इसी तरह कक्षा 12 में प्रवेश हेतु कोई अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी, बशर्ते विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10/11 उत्तीर्ण करने के बाद उसके नियमित अध्ययन में कोई अंतराल न हो।

5. कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और सक्षम प्राधिकारी

कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या	प्राधिकारी	दिनांक	टिप्पणी
40 तक	प्राचार्य	31 जुलाई तक	पंजीकृत और पात्र उम्मीदवार बशर्ते कक्षा में रिक्तियाँ हों।
45 तक	प्राचार्य	30 नवम्बर तक	यह प्रावधान सिविल/ रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय विद्यालयों के श्रेणी-1 के अभिभावकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय विद्यालयों के श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के अभिभावकों के लिए है जिनका स्थानांतरण वर्तमान सत्र में पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत हुआ है तो उनके बच्चों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

6. प्रवेश में आरक्षण

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी:

सभी केंद्रीय विद्यालयों में नए प्रवेशों में अनुसूचित जाति के लिए 15% एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें आरक्षित होंगी।

(ख) दिव्यांग श्रेणी :

निःशक्तता अधिनियम 1995 (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा व पूर्ण प्रतिभागिता) के साथ पठित शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नए प्रवेश के लिए कुल उपलब्ध सीटों में से 3% सीटें दिव्यांग बच्चों के लिए संस्तर रूप से आरक्षित होंगी।

7. के.वि. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र एवं स्थानीय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के साथ प्रवेश

- यदि मात-पिता का स्थानांतरण एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर हो गया है तो के.वि. के स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर स्वतः ही (कक्षा में बच्चों की अधिकतम संख्या के ऊपर) बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 55 तक पहुंच जाती है तो अतिरिक्त सेक्शन खोलने के प्रयास किए जाएं।
- रक्षा कार्मिकों और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी, जिनका स्थानांतरण यदि ऐसे स्थान पर होता है जहां परिवार नहीं रखा जा सकता या जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वे अपने बच्चों का प्रवेश केंद्रीय

विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर ऐसे केंद्रीय विद्यालय में करा सकेंगे जहां वे अपना परिवार रखते हैं।

- iii. अन्य सभी मामलों में जहां माता-पिता का स्थानांतरण नहीं हुआ है केंद्रीय विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश केवल क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त की पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा।
- iv. के.वि. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर सभी स्थानीय स्थानांतरण मेरिट के आधार पर उपायुक्त के अनुमोदन के अनुसार किए जाएंगे।
- v. के.वि. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र वाले छात्र को प्रोजेक्ट के.वि. में भी कक्षा में केवल 45 विद्यार्थियों की संख्या तक अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति की पूर्वानुमति से प्रवेश प्रदान किया जा सकता है। इस सीमा के ऊपर प्रोजेक्ट विद्यालय में के.वि. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा/हालांकि, संभागीय उपायुक्त को अत्यंत वांछनीय मामलों में प्रोजेक्ट / निकटतम के.वि. में प्रवेश की अनुमति देने का अधिकार होगा।

8. केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 11 में प्रवेश के लिए आईसीएससी/ राज्य बोर्ड/राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान प्रमाण-पत्र/ स्तर की समतुल्यता :

आईसीएससी/ राज्य बोर्ड/राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान प्रमाण-पत्र जहां अंक दिए जाते हैं के विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में रिक्तियां रहने पर प्रवेश के लिए विचार जाएगा। संबंधित संस्थान द्वारा विभिन्न विषयों में दिए गए अंकों को सीबीएसई द्वारा निर्धारित ग्रेड में परिवर्तित किया जाएगा।

सीबीएसई मानदण्डों के अनुसार विभिन्न विषयों के अंकों को ग्रेड में निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा:

अंको का ग्रेड में परिवर्तन

अंक	ग्रेड	अंक	ग्रेड
91-100	ए1	51-60	सी1
81-90	ए2	41-50	सी2
71-80	बी1	33-40	डी
61-70	बी2	21-32	ई1
		0-20	ई2

9. 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं में प्रवेश:

केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश के मामलों पर रिक्त स्थान होने पर ही विचार किया जाएगा। कक्षा 10 एवं 12 में ऐसे प्रवेश के मामलों पर विचार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त द्वारा ही किए जाएंगे बशर्ते कि इन कक्षाओं में औसत संख्या 40 से कम हों। ऐसे मामलों में प्रवेश के लिए पात्रता की निम्नलिखित शर्तें भी लागू होगी :

- i) बच्चे ने सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय में उसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो।
- ii) कक्षा 10 में प्रवेश के लिए बच्चे ने कक्षा 9 में कम से कम 6.5 सीजीपीए प्राप्त किया हो (सीजीपीए की गणना सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं के सीजीपीए गणना के लिए प्रयुक्त सूत्र के द्वारा की जाएगी)। कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 11वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक होने चाहिए।
- iii) केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी पात्र होना चाहिए।
- iv) केंद्रीय विद्यालयों में उन विषयों का संयोजन(Combination) उपलब्ध हो।

10. विदेश में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश

अभिभावकों की विदेश में प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा उनका बच्चा यदि उनके साथ विदेश चला जाता है, भारत में उनकी वापसी पर जिस केंद्रीय विद्यालय में अभिभावक अपने बच्चे का प्रवेश लेना चाहता है उस केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा उसे अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा (ऐसा प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या से अधिक/ऊपर दिया जाएगा)

11 रिक्तियों के प्रवेश हेतु:

31 जुलाई के बाद किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए यदि कोई स्थान रिक्त रह जाता है तो संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त को 31 अगस्त तक प्रवेश प्राथमिकता की प्रत्येक श्रेणी एवं निर्धारित कक्षा संख्या के अनुसार प्रवेश हेतु अधिकृत किया गया है।

नोट :

प्रवेश दिशा निर्देशों की व्याख्या से संबंधित किसी भी मामले में आयुक्त, के.वि.सं. का निर्णय अंतिम होगा.

भाग-ख

विशेष प्रावधान

1. इन प्रवेश दिशा-निर्देशों में दिए गए प्रावधानों में अन्यथा उल्लिखित प्रवेश व्यवस्था को छोड़कर (जैसे मद संख्या XVI) निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों को कक्षा की निर्धारित संख्या से अधिक/ऊपर प्रवेश दिया जाएगा:

- (i) माननीय सांसदों के बच्चे और उनके आश्रित पौत्र/पौत्रियां।
- (ii) केंद्रीय विद्यालय संगठन में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे और पौत्र/पौत्रियां (पुत्र अथवा/और पुत्री के बच्चे)।
के.वि.सं.(केंद्रीय विद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जेडआईईटी और के.वि.सं.(मुख्या)) में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों और पौत्र/पौत्रियों को कक्षा की निर्धारित संख्या/स्थानान्तरण/भर्ती पर ध्यान दिए बिना वर्ष में किसी भी समय प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा। तथापि कक्षा 9 में प्रवेश हेतु बच्चे को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी (जो अधिकारी/कर्मचारी के.वि.सं. में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करते हैं उनके बच्चों को भी के.वि.सं. के नियमित कर्मचारी के बच्चों के समतुल्य माना जाएगा)।
- (iii) कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।
- (iv) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, और शौर्य चक्र, सेना मेडल(आर्मी), नौसेना मेडल(नौसेना), वायु सेना मेडल(वायु सेना) प्राप्तकर्ताओं के बच्चे।
- (v) शौर्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त तथा पुलिस पदक प्राप्तकर्ताओं के बच्चे।
- (vi) सरकार द्वारा आयोजित एसजीएफआई/सीबीएसई/राष्ट्रीय/राज्य स्तर के खेलकूद में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले मेधावी बच्चे।
- (vii) स्काउट और गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता।
- (viii) इकलौती कन्या संतान का प्रवेश कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम दो तथा कक्षा 6 से आगे की कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में दो को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें माता-पिता की जुड़वा पुत्रियां व अधिकतम पुत्रियां भी सम्मिलित हैं।
क) जुड़वा पुत्रियों का प्रवेश होने पर एक ही प्रवेश माना जाएगा।
ख) ड्रों की स्थिति आने पर जुड़वा पुत्रियों का नाम एक ही पर्ची पर लिखा जाए।

ग) यदि इकलौती कन्या संतान (जुड़वा पुत्रियां भी सम्मिलित) के आवेदनो की संख्या निर्धारित सीटो की संख्या (कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम दो तथा कक्षा 6 से आगे की कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में दो) से अधिक है तो प्राथमिकता श्रेणियों के अनुक्रम के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए। यदि किसी एक श्रेणी में अधिक आवेदन किए गए हो तो सभी आवेदनो को एक साथ इकट्ठा करके लॉटरी के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाए।

- (ix) राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार अथवा राष्ट्रीय बालभवन द्वारा प्रारंभ किए गए बालश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता बच्चे।
- (x) शिक्षकों के लिए निर्धारित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता शिक्षकों के बच्चे।
- (xi) ललित कलाओं में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर विशेष प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले बच्चे।
- (xii) केंद्रीय विद्यालय संगठन(मुख्या) द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप प्रतिवर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कर्मचारियों के 100 बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा (31 जुलाई तक)।
- (xiii) के.वि.सं.(मु) द्वारा जारी आदेशों पर विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के 60 बच्चों को प्रतिवर्ष भारत में कहीं भी स्थित केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा और 15 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय के छात्रावासों में प्रवेश दिया जाएगा। ये प्रवेश निम्नलिखित शर्तों पर विनियमित होंगे :-

क) देशभर के कहीं भी स्थित केंद्रीय विद्यालयों में 60 प्रवेश केवल उन बच्चों के लिए हैं जो अपने अभिभावकों की तैनाती के उपरांत विदेश से लौट रहे हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत आम प्रवेश के समय शेष सीटों को ऐसे ही रखा जाएगा और शिक्षा-सत्र के प्रारंभ से लेकर 30 सितंबर की अवधि तक भारत लौटने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए ये सीटें उपयोग में लाई जाएंगी। 30 सितंबर के पश्चात भारत लौटने वाले अभिभावकों के बच्चों के प्रवेश पर 30 नवम्बर तक विचार किया जाएगा। इस प्राथमिकता के अंतर्गत विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के बच्चों पर विशेष विचार नहीं किया जाएगा। ये सभी प्रवेश इस शर्त पर होंगे कि एक विद्यालय में एक वर्ष में 5 बच्चों से अधिक का प्रवेश न हो और बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश से पहले विदेश में जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे उस विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस उपबंध के अंतर्गत संबंधित कक्षाओं में विशेष प्रावधानों के अंतर्गत प्रवेश का कोटा एक बार पूर्ण हो जाने पर सभी प्रवेश बंद हो जाएंगे।

ख) केंद्रीय विद्यालयों के छात्रावासों में प्रवेश हेतु 15 सीटें केवल उन बच्चों के लिए होंगी जिनके अभिभावक विदेश में ऐसे स्टेशन पर तैनात किए गए हो, जहां शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इस संबंध में अपेक्षित सूचना विदेश मंत्रालय द्वारा दी जानी आवश्यक है।

- (xiv) अनुसंधान एवं विक्षेपण विंग (रॉ) के कर्मचारियों के 15 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.) के द्वारा जारी आदेश के अनुरूप प्रवेश दिया जाएगा। इनमें से अधिकतम 5 सीटें दिल्ली में और शेष दिल्ली से बाहर दी जाएगी।
- (xv) यदि उपबंध (XII) (XIII) और (XIV) के अंतर्गत पात्र बच्चों के प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न हो तो इन प्रावधानों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित सीमा तक अतिरिक्त नामों को मनोनीत किया जा सकता है।
- (xvi) (क) सभी विद्यालयों में प्रायोजक अभिकरण के बच्चों के लिए, आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित विद्यालयों को छोड़कर, कक्षा एक के प्रत्येक सेक्शन में निर्धारित छात्र संख्या (40) तक 5 सीटें भरी जाएं।

(ख) इसी तरह अन्य सभी कक्षाओं में कुल मिला कर 10 सीटें निर्धारित छात्र संख्या के अतिरिक्त प्रवेश हेतु अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा प्रायोजक अभिकरण (Sponsoring Agency) के बच्चों के प्रवेश हेतु संस्तुत किए जा सकते हैं। यह छात्र केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश देशा-निर्देशों के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र होना चाहिए।

- (xvii) अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, संबंधित विद्यालय शिफ्ट में अपने विवेकाधिकार कोटे के अंतर्गत अधिकतम दो बच्चों के प्रवेश के लिए संस्तुति कर सकते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर इन दो प्रवेशों की संस्तुति एक ही कक्षा में अथवा अन्य कक्षाओं में अलग-अलग कुल मिलकर की जा सकती है। यह छात्र केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश देशा-निर्देशों के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र होना चाहिए (प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक) ।
- (xviii) दिल्ली में जहां केंद्रीय विद्यालयों के लिए भूमि डी.डी.ए. द्वारा प्रदान की गई है उन केंद्रीय विद्यालयों में डी.डी.ए. के नियमित कर्मचारियों के बच्चों के लिए कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में 5 सीटें तथा अन्य कक्षाओं में कुल 5 सीटें सीमित होंगी। कक्षा 1 में प्रवेश सेक्शन की निर्धारित छात्र संख्या के अंदर होंगे जबकि अन्य कक्षाओं में यह सेक्शन की निर्धारित छात्र संख्या से ऊपर होंगे।
- (xix) प्रत्येक माननीय सांसद इस योजना के अंतर्गत एक शिक्षा-सत्र में प्रवेश हेतु दस (10) मामलों में अनुशंसा कर सकते हैं परंतु यह अनुशंसा उन्हीं अभिभावकों के बच्चों के लिए हो जो उस संसदीय क्षेत्र के निवासी हो या प्रवेश से पहले उस क्षेत्र में तैनात किए गए हों या सेवा की बाध्यताओं के कारण निर्वाचन क्षेत्र में विस्थापित हुए हों। यह संस्तुति माननीय सांसद द्वारा अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए होगी । यदि किसी माननीय सांसद (लोक सभा) के निर्वाचन क्षेत्र में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है तो वे इन प्रवेशों की सिफारिश किसी भी पड़ोसी सन्निहित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में भी कर सकते हैं। राज्य सभा सांसद के लिए इस उद्देश हेतु वह राज्य उनका संसदीय क्षेत्र माना जाएगा जिससे वह चुने गए हैं राज्य सभा एवं लोक सभा मनोनीत सांसद देश में किसी एक विद्यालय या अन्य विद्यालयों में दस (10) मामलों की अनुशंसा कर सकते हैं।
- क) यह प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या के ऊपर होंगे।
- ख) यह अनुशंसा पूर्व प्राथमिक तथा कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए की जा सकती है।
- ग) ये प्रवेश शिक्षा सत्र के प्रारंभ में ही किए जाएंगे निर्धारित अंतिम तारीख (अर्थात् 31 जुलाई) के बाद कोई प्रवेश नहीं किया जाएगा।
- घ) यह अनुशंसा माननीय सांसदों को के.वि.सं.(मु0) द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रपत्र में किए जाने पर ही मान्य होगी। अन्य किसी फॉर्म/प्रारूप में संस्तुति भेजे जाने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- ङ) माननीय सांसद द्वारा जिस बच्चे के लिए प्रवेश की संस्तुति की गई है वह के.वि.सं. प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (xx) सशस्त्र बलों के प्रत्येक शिक्षा निदेशालय अर्थात् सेना, वायुसेना और नौसेना एक शैक्षणिक वर्ष में पूर्व प्राथमिक कक्षा तथा कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु 6 मामले भेज सकते हैं। सशस्त्र बलों के शिक्षा निदेशालय अर्थात् सेना, वायुसेना और नौसेना, रक्षा कार्मिक के ऐसे 6 बच्चों के नामों की सिफारिश कर सकते हैं जो रक्षा क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता रखते हैं। यह प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या के ऊपर होंगे एवं 31 जुलाई तक पूरे किए जाएंगे तथापि इन प्रावधानों के अंतर्गत कक्षा 10वीं व 12वीं में कोई प्रवेश नहीं दिये जाएंगे ।

2 रक्षा बलों के बच्चों को प्रवेश:

केंद्रीय विद्यालय वाले स्टेशन पर सशस्त्र बल के कर्मियों के स्थानांतरण पर आने पर या सेवानिवृत्ति के बाद वहीं बसने की इच्छा रखने वाले अभिभावकों के बच्चों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संबद्ध रक्षा बलों(थल सेना, वायु सेना, जल सेना) एवं अर्ध सैनिक बल (के0रि0पु0ब0,सी0सु0ब0,भा0ति0सी0पु,स0सी0ब0 एवं के0औ0सु0ब0) द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वतः ही प्रवेश दे दिया जाए । यह प्रावधान भारतीय कोस्टगार्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के मामलों में भी लागू होंगे। ये प्रावधान इसरो/एईईएस (परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में पढ़ रहे सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी लागू होंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त प्रावधान केवल रक्षा कार्मिकों/अर्ध सैनिक बल (के0रि0पु0ब0,सी0सु0ब0,भा0ति0सी0पु,स0सी0ब0 एवं के0औ0सु0ब0) के बच्चों अर्थात् पुत्र और पुत्रियों के लिए है। इसमें रक्षा कार्मिकों के पौत्र/पौत्रियाँ सम्मिलित नहीं होंगे। इसमें आयु और अंकों/ग्रेड के मापदण्डों की पात्रता सहित केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा-निर्देश के प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जाएगा। बच्चे द्वारा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के माह से विद्यालय विकास निधि सहित सभी शुल्क का भुगतान किया जाएगा चाहे उसके द्वारा अपने पिछले विद्यालय में उत्तरवर्ती महीनों के शुल्क का भुगतान किया जा चुका हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध रक्षा मंत्रालयों/विभागों/प्रधिकरणों द्वारा संचालित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऐसे विद्यालय से जारी प्रमाण-पत्र को प्रवेश लेने वाले केंद्रीय विद्यालय के उपायुक्त द्वारा पृष्ठांकित करवाया जाए।

3 पूर्व प्राथमिक छात्रों को कक्षा-1 में प्रवेश

पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से कक्षा 1 में स्वतः प्रवेश के नियम को सत्र 2008-09 से वापस ले लिया गया है। अब कक्षा 1 के सभी प्रवेश नए माने जाएंगे और इन पर प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई होगी।

4 ऐसे विद्यार्थी, जो पूर्व में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे किन्तु उन्हें (क) माता-पिता का स्थानांतरण होने के कारण या (ख)माता-पिता के फील्ड एरिया में स्थानांतरण के कारण से होने वाले पुनः स्थापन; के कारण से केंद्रीय विद्यालय के अलावा किसी अन्य विद्यालय में पढ़ने को बाध्य होना पड़ा क्योंकि उस स्थान पर केंद्रीय विद्यालय नहीं है, और यदि संबन्धित अभिभावक (PARENT) का अगला स्थानांतरण ऐसे स्थान पर होता है जहां केन्द्रीय विद्यालय है, ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा की निर्धारित संख्या से ऊपर प्रवेश दिया जाएगा। अभिभावक को इस आशय का प्रमाण उपलब्ध कराना होगा।

भाग-ग

प्रवेश प्रक्रिया

1. प्रचार

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा फ़रवरी महीने के प्रथम सप्ताह में केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पंजीकरण की समय-सारणी का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश के लिए पंजीकृत करने के लिए अभिभावकों को आमंत्रित किया जाएगा। इस विज्ञापन में यह भी विशेष रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ही सीमित नहीं है अपितु सभी के लिए खुला है, केवल प्रवेश को नियमित करने के लिए कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग बच्चों के लिए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आरक्षण भी दर्शाया जाए।

2. पंजीकरण

- (i) यदि किसी कक्षा में कोई रिक्त स्थान न हो या स्थान रिक्त होने की संभावना न हो तो उस कक्षा में प्रवेश के लिए पंजीकरण नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में रिक्ति उपलब्ध हो जाती है तो स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार करके पंजीकरण किया जा सकता है तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा-निर्देश के अनुसार प्रवेश किया जा सकता है।
- (ii) यदि प्रवेश के लिए इच्छुक बच्चों के पंजीकरण की संख्या कम हो और सभी सीटें भरी न जा सकी हों, तब प्राचार्य रिक्त सीटों की उपलब्धता को दर्शाते हुए दूसरा/तीसरा विज्ञापन मई और जून मास में जारी करेंगे।
- (iii) विद्यालयों में प्रवेश विद्यालय की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से किए जाने अपेक्षित है। यदि कार्यकारिणी समिति द्वारा कक्षा की पूर्ण संस्वीकृत संख्या तक प्रवेश अनुमोदित नहीं किए जाते तो

प्राचार्य उसकी जानकारी उपायुक्त को देंगे जो शेष सीटों के लिए प्रवेश की अनुमति प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदान करेंगे।

- (iv) कक्षा 11वीं के लिए पंजीकरण 10 वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद किए जाएं और सीबीएसई बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा होने के 30 दिनों के भीतर कक्षा की पूरी संख्या तक प्रवेश पूरे कर लिए जाने चाहिए। विद्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन न किए जाने के कारण यदि कक्षा क्षमता तक प्रवेश दिए जाने में कोई कठिनाई आती है तो ऐसी स्थिति में अन्य कक्षाओं के लिए निर्धारित ऊपर दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उपायुक्त के अनुमोदन से कक्षा की संस्वीकृत संख्या तक प्रवेश 31 जुलाई तक पूरे कर लिए जाएं।
- (v) प्राचार्य द्वारा पंजीकरण फार्म (केवल विशेष प्रावधान के अंतर्गत प्रवेश हेतु (ऑफलाइन मोड) निःशुल्क में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- (vi) सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ पूरी तरह से भरा हुआ पंजीकरण फार्म निर्धारित तिथि के भीतर विद्यालय कार्यालय में अवश्य जमा किया जाए। पंजीकरण फार्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न करना आवश्यक है।

3. दस्तावेज

- कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु के प्रमाण के लिए जन्म पंजीकरण के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र। इसमें अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद्/नगर पालिका/नगर निगम के प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत, सैनिक अस्पताल और रक्षा कर्मियों के सेवा अभिलेखों के जन्मतिथि संबंधी उद्धरणों को लिया जाएगा। अन्य कक्षाओं के लिए राज्य शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा निर्गत स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी। जन्मतिथि के मूल प्रमाण-पत्र को सत्यापन के पश्चात अभिभावकों को लौटा दिया जाना चाहिए। कक्षा 8 तक प्रवेश बिना किसी अन्य विद्यालय के स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के भी दिए जा सकते हैं बशर्ते बच्चा प्रवेश पाने योग्य हो और उसका जन्म प्रमाण-पत्र सरकारी निकाय द्वारा जारी किया गया हो।
- माननीय सांसदों अथवा सार्वजनिक-क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के पौत्र/पौत्रियों के माता अथवा पिता के माननीय सांसदों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी के साथ संबंध होने के बाबत प्रमाण की आवश्यकता है।
- केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी (सेवारत/सेवा(निवृत्त- के पौत्र/पौत्रियों के माता अथवा पिता का के0वि0सं0 के कर्मचारी के साथ संबंध होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ ओबीसी(नॉन क्रिमीलियर)/ बीपीएल इत्यादि के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। यदि बच्चे का यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के प्रमाण पत्र को आरंभ में स्वीकार कर लिया जाए किन्तु बच्चे से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रवेश के 3 माह के अंदर जमा करना होगा।
- विकलांग बच्चे के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 04.05.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/5/88/स्था७ (एससीटी) में परिभाषित सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, जिसमें विकलांगता प्रमाणित की गई हो, उपलब्ध हो। उन मामलों में जहां बच्चे की विकलांगता प्राचार्य द्वारा स्वयं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है उस स्थिति में बिना किसी प्रमाण-पत्र के विकलांगता समझी जाएगी। तथापि अभिभावक को सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सलाह देते हुए इसे बाद में जमा करने के लिए कहा जाए।
- पूर्वगामी 7 वर्षों के दौरान हुए स्थानान्तरणों की संख्या को दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण-पत्र जिसमें कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर सहित तथा उसमें कार्यालयाध्यक्ष का नाम, पदनाम और अन्य सुसंगत ब्यौरे स्पष्ट अक्षरों में लिखे गए हों।
- वर्दीधारी रक्षा कर्मियों के लिए सेनानिवृत्ति प्रमाण-पत्र।
- निवास प्रमाण

टिप्पणी :-

- (i) पंजीकरण मात्र से ही प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ii) अपूर्ण रूप से भरे आवेदन फार्म सामान्यतः अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। रिक्तियों के शेष रहने के मामलों में, प्राचार्य अपने विवेक पर बाद में भी प्रपत्र को पूरा करने की अनुमति दे सकते हैं।
- (iii) गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश को प्राचार्य द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और प्राचार्य द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) जब किसी बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए एक केंद्रीय विद्यालय में पंजीकृत किया जाता है लेकिन परिणाम की घोषणा से पूर्व ही उसके अभिभावक किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो बच्चे को ऐसी स्थिति में अपने अभिभावक के तैनाती के स्थान पर स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए पंजीकृत माना जाना चाहिए वहाँ प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त भी हो गई हो। पंजीकृत फार्म की मूल प्रति तैनाती के स्थान पर स्थित केंद्रीय विद्यालय को स्थानांतरित कर दी जाए एवं फोटोप्रति उस विद्यालय द्वारा रखी जाए जहां बच्चा पहले पंजीकृत हुआ था।

4. कक्षा-1 के लिए प्रवेश विधि

नए प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों में से 15% सीट अनुसूचित जाति एवं 7.5% सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में कमी रहने पर आरटीई कोटे के तहत भर्ती अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या पर विचार करने के बाद ही गणना की जाएगी।

पहले चरण में कक्षा -1 के प्रत्येक सेक्शन के 10 सीट(40 सीट में से) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत(25%) भरा जाएगा और ये 10 सीट एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/बीपीएल/ओबीसी(नॉन क्रीमीलेयर)/विकलांग (जो विद्यालय के पड़ोस के निवासी हों) के सभी आवेदनों को एक साथ इकट्ठा करके लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

- (1) दूसरे चरण में शेष सीटों को मौजूदा प्राथमिकता श्रेणी प्रणाली के आधार पर भरा जाएगा। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में कमी को प्रवेश प्राथमिकता श्रेणियों के अनुसार भरा जाएगा।
- (2) उदाहरण के लिए: एक सेक्शन स्कूल में 6 सीटें अनुसूचित जाति और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए (अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%) आरक्षित हैं। मान लिया जाये कि, पहले चरण में आरटीई के तहत लॉटरी प्रणाली द्वारा 2 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों, 1 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार और 1 विकलांग उम्मीदवार को प्रवेश दिया गया है, तो उपलब्ध एससी सीटें $06-02=4$ और एसटी $3-1=2$ की सीटों के रूप में विचार किया जाएगा। पंजीकृत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में शेष उम्मीदवारों को प्रवेश प्राथमिकता श्रेणियों के क्रम में विचार किया जाएगा। इस प्रकार से शेष 24 सीटों पर प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी के आधार पर किया जाएगा।

टिप्पणी-1:

- क) आरटीई के तहत आरक्षित 10 सीटों को किसी भी मामलों में अनारक्षित नहीं किया जाएगा।
- ख) 20 जुलाई के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों को इंटरचेंज अर्थात एससी को एसटी और एसटी को एससी में इंटरचेंज किया जा सकता है।
- ग) अगर पंजीकरण के पहले चरण में आरटीई के तहत आवश्यक उम्मीदवार पंजीकृत नहीं होते हैं तो अप्रैल माह में दूसरी अधिसूचना जारी की जाए।
- घ) सुविधा वंचित समूह/ कमजोर वर्ग/ बीपीएल/ ओबीसी(नॉन क्रीमीलायर) की परिभाषा/पात्रता संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार तय की जाएगी।
- ङ) कक्षा-1 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

टिप्पणी-2:

(क) सुविधा वंचित समूह की परिभाषा:

1. सुविधा वंचित समूह के बच्चे का तात्पर्य उन बच्चों से है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अन्य समूह जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषिक, लैंगिक और अन्य कारकों के आधार पर समुचित सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर [आर टी ई एक्ट की सेक्शन 2 (घ)] सुविधा वंचित समूह में विनिर्दिष्ट किया गया हो।
2. विशेष जरूरतों और अशक्तता से संबंधित बच्चों का अभिप्राय ऐसे बच्चे से है जिसे अशक्तता अधिनियम के अंतर्गत अथवा जिन्हें संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा परिभाषित किया गया हो।

(ख) कमजोर वर्ग की परिभाषा

- कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले बच्चे का अभिप्राय है जिनके माता-पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय वहाँ की समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित (सेक्शन 2 ई) के द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आय सीमा का निर्धारण संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लागू होगा।

(ग) पड़ोस की परिभाषा और निवास का प्रमाण (केवल शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रवेश हेतु लागू) यद्यपि केंद्रीय विद्यालय विभिन्न जनसंख्या घनत्व में अवस्थित है, पड़ोस के क्षेत्र की सीमा का निर्धारण के लिए निम्न तरह से वर्गीकृत किया गया है: -

1. प्रमुख नगर और शहरी क्षेत्र (सभी जिला मुख्यालय एवं महानगरीय क्षेत्र) 5 कि.मी. की परिधि ।
2. ऊपर 1 में सम्मिलित स्थान व क्षेत्र के अलावा 8 कि.मी. की परिधि।

टिप्पणी: 1. सभी आवेदकों को अपने निवास का प्रमाण देना होगा तथापि निवास प्रमाण न होने की परिस्थिति में प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता है।

3. अभिभावकों द्वारा दूरी संबंधी लिखित स्व:घोषणा को इस आशय के लिए स्वीकार कर लिया जाए।

5. ड्रा की पर्चियां निकालने के लिए समिति का गठन

प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 व अन्य कक्षाओं जहां उपलब्ध सीटों की संख्या के लिए किसी वर्ग विशेष या स्थानांतरणों की संख्या समान हो जाने पर उपलब्ध सीटों की संख्या को समायोजित न किया जा सके ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर ऐसे मामलों को निपटाने के लिए ड्रा के पर्यवेक्षण के लिए एक समिति का गठन किया जाए ।

समिति में निम्न 05 सदस्यों को शामिल किया जाएगा :

1	प्राचार्य	संयोजक
2	शिक्षक	सदस्य (प्राचार्य द्वारा नामांकित)
3 व 4	दो अभिभावक(एक महिला)	सदस्य,(एक अभिभावक जिसके बच्चे का प्रवेश आरटीई अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 12(1)(ग) के अंतर्गत किया जाना है।)
5	विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य	सदस्य के (वि.प्र.स.के. अध्यक्ष द्वारा नामांकित)

- प्राचार्य द्वारा कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों में से एक अतिरिक्त छठा सदस्य नामांकित किया जा सकता है जहां ये कक्षाएं उपलब्ध हैं।
- अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति की सहमति से इस समिति के गठन की अधिसूचना ड्रा के कम से कम 5 दिन पहले कर दी जाए और उसे विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाए।

6. शुल्क एवं अन्य रियायतें

- * आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिन 25% बच्चों को प्रवेश दिया गया है उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- * विद्यालय द्वारा ऐसे सभी बच्चों को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का एक सेट उपलब्ध कराया जाएगा और नोट-बुक, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और परिवहन से सम्बंधित अन्य खर्च की प्रतिपूर्ति आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत 25% बच्चों के प्रवेश के लिए निर्धारित खर्च की उच्चतम सीमा के अंतर्गत मूल बिल पेश करने पर की जाएगी।
- * एक बार जब किसी बच्चे का आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा-1 में प्रवेश मिल जाता है उसे कक्षा- 8 तक सभी रियायतें उसी केंद्रीय विद्यालय में मिलती रहेगी और स्थानांतरण होने पर दूसरे केंद्रीय विद्यालय में भी उन रियायतों का लाभ मिलता रहेगा।
- * अभिभावक का निवास प्रमाण पंजीकरण के समय पेश किया जाना चाहिए।
- * यदि किसी कर्मचारी को उसके विभाग द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति का लाभ मिल रहा है तो वह आरटीई अधिनियम की रियायतों का दावा नहीं कर सकता है।

7. कक्षा II से VIII में प्रवेश की पद्धति

क. कक्षा II से कक्षा VIII में प्रवेश के लिए कोई भी प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी तथा प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी प्रणाली(1 से 5 या 6 मामले के अनुसार) के आधार पर दिए जाएंगे। यदि सीटों की संख्या से अधिक आवेदन हों तो प्रत्येक श्रेणी के कोटे को लॉटरी व्यवस्था से भरा जाए। कक्षा 6 और उपर की कक्षाओं के लिए यह प्रक्रिया इकलौती पुत्री संतान के लिए भी अपनाएँ जाए।

8. कक्षा IX में प्रवेश की पद्धति

कक्षा IX में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और प्राथमिकता की प्रत्येक श्रेणी के लिए योग्यताक्रम के अनुसार अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

- प्रवेश-परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषयों में आयोजित की जाएगी।
- प्रवेश परीक्षा के लिए केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसकी समय अवधि 3 घंटे और अंक 100 होंगे जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान प्रत्येक विषय के लिए 20 अंक निर्धारित हैं।
- अभ्यर्थी को कुल योग के कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग(PH) के विद्यार्थी कुल योग का 25% अंक प्राप्त करने पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

9. कक्षा XI में प्रवेश की पद्धति

i. के.वि. छात्रों के लिए: केंद्रीय विद्यालय से कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 11 में विभिन्न स्ट्रीमों अर्थात विज्ञान, कॉमर्स और मानविकी में प्रवेशों को निम्नलिखित तरीकों से नियमित किया जाएगा:

क) प्रत्येक विद्यालय कक्षा 10 में सीबीसीई में सभी आवेदकों द्वारा प्राप्त सीजीपीए के आधार पर सभी योग्यता सूची तैयार की जाएगी।

क) विज्ञान स्ट्रीम :- न्यूनतम 7.6 सीजीपीए

ख) कॉमर्स स्ट्रीम :- न्यूनतम 6.4 सीजीपीए

ग) मानविकी स्ट्रीम:- केंद्रीय विद्यालय के कक्षा दसवी के उत्तीर्ण घोषित सभी छात्र

नोट: संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय एवं निकटवर्ती केन्द्रीय विद्यालय के सभी पात्र विद्यार्थियों को उनकी हकदारी की स्ट्रीम में प्रवेश के पश्चात यदि कक्षा 11 में रिक्तियाँ रह जाती हैं तो गैर केन्द्रीय विद्यालय छात्रों को प्राथमिकता श्रेणियों के अनुक्रम में उपर्युक्त मापदंडों के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए।

ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है जहां उपर्युक्त मापदंड के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों से 10वीं कक्षा पास करने वाले एवं कक्षा 11वीं में प्रवेश के इच्छुक पात्र बच्चे स्ट्रीमों के लिए पर्याप्त संख्या में, विशेष तौर से हार्ड स्टेशन/दूरस्थ केन्द्रीय विद्यालयों में उपलब्ध न हों। ऐसी संभावितता (eventuality) में संबन्धित केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्य अपने क्षेत्रीय उपायुक्त को प्रवेश में पात्रता मापदंड को कम करने के लिए पंजीकरण विवरण एवं पात्र विद्यार्थियों की सूची के साथ प्रस्ताव भेज सकते हैं। क्षेत्रीय उपायुक्त स्वनिर्णय लेते हुए निम्नानुसार विभिन्न स्ट्रीमों में पात्रता मापदंड कम कर सकते हैं।

क) विज्ञान स्ट्रीम :- न्यूनतम 7.4 सीजीपीए

ख) कॉमर्स स्ट्रीम :- न्यूनतम 6.0 सीजीपीए

ग) मानविकी स्ट्रीम:- केन्द्रीय विद्यालय के कक्षा दसवीं के उत्तीर्ण घोषित सभी छात्र

नोट: संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय एवं निकटवर्ती केन्द्रीय विद्यालय के सभी पात्र विद्यार्थियों को उनकी हकदारी की स्ट्रीम में प्रवेश के पश्चात यदि कक्षा 11 में रिक्तियाँ रह जाती हैं तो गैर केन्द्रीय विद्यालय छात्रों को प्राथमिकता श्रेणियों के अनुक्रम में उपर्युक्त मापदंडों के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए।

मेरिट लिस्ट तैयार करते समय जो भी रियायतें लागू हों उनको शामिल किया जाएगा।

क) अगर दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारों ने एक ही समान सीजीपीए प्राप्त की है तो ऐसे उम्मीदवारों की आपस में योग्यता को निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

i) जिस उम्मीदवार ने गणित में ज्यादा ग्रेड पॉइंट प्राप्त किए हैं उसे प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी।

ii) अगर दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारों को गणित में समान ग्रेड पॉइंट हैं तो तब गणित और विज्ञान दोनों को मिलाकर उच्च ग्रेड वाले को प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी।

iii) अगर दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारों को गणित और विज्ञान दोनों के ग्रेड पॉइंट में टाई होता है तो जो उम्मीदवार उम्र में बड़ा है उसे प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी।

ख) प्राचार्य कक्षा 11 में कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या तक प्रवेश दे सकते हैं।

ग) विद्यार्थी, जो प्रवेश के लिए पहले किसी विशेष संकाय में पात्र नहीं पाए गए हैं उन्हें उस विशेष संकाय में अगले शिक्षा-सत्र में प्रवेश के लिए कक्षा 11वीं में नए प्रवेश के रूप में लिया जा सकता है बशर्ते कि उसने एक वर्ष के दौरान अपना निष्पादन उसी बोर्ड से सुधार लिया हो।

टिप्पणी :

इंफोर्मेटिक प्रेक्टिस को एक वैकल्पिक विषय के रूप में सभी स्ट्रीम में दिया जाता है। अतः इसमें प्रवेश संयुक्त मेरिट सूची के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

कम्प्यूटर साइंस और बायो टेक्नोलॉजी जहां भी ऐच्छिक विषय के रूप में उपलब्ध है विज्ञान स्ट्रीम में विद्यालयों को दी जाए और प्रवेश संयुक्त मेरिट सूची के अनुसार दिए जाएंगे। मल्टीमीडिया और वेब-डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी (जहां उपलब्ध हैं) को संयुक्त योग्यता सूची के अनुसार सभी संकायों में (वाणिज्य, मानविकी व विज्ञान) में दिए जा सकते हैं।

iii) कक्षा-11 में प्रवेश के लिए निम्नलिखित रियायतें प्रदान की जाएगी:

क) विभिन्न स्तरों पर खेलकूद/स्काउटिंग और गाइडिंग/एनसीसी/साहसिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भी निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध होंगी। इसके लिए प्रमाण-पत्र किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष का हो सकता है।

क्र मां क	खेलकूद	एनसीसी	स्काउट/गाइड	विज्ञान/वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु साहसिक क्रियाकलाप	अंको/ग्रेड प्वाइंटों में छूट
क	एसजीएफआई अथवा समकक्षीय स्तर पर सहभागिता	'ए' प्रमाण-पत्र और गणतंत्र दिवस/ प्रधानमंत्री रैली में प्रतिभागिता	राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण-पत्र	शून्य	सीजीपीए में 0.8 अंक
ख	केविसं/राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्रतिभागिता	'ए' प्रमाण-पत्र और जिला/राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कैडेट	7 दक्षता बैजों के साथ राज्य पुरस्कार	शून्य	सीजीपीए 0.6 अंक
ग	केविसं क्षेत्रीय/जिला स्तर पर प्रतिभागिता	'ए' प्रमाण-पत्र	5 दक्षता बैजों के साथ तृतीय सोपान प्रमाण- पत्र	कम से कम किसी 10 दिवसीय साहसिक क्रियाकलाप में प्रतिभागिता	सीजीपीए 0.2 अंक

खेलकूद/स्काउट/गाइड/एनसीसी/साहसिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अधिकतम छूट 0.8 सीजीपीए से अधिक नहीं होगी। उपर्युक्त (क) और (ख) के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में एक से अधिक छूट की योग्यता की स्थिति में उम्मीदवार को अधिकतम लाभ की एक छूट दी जाएगी(यह लाभ गैर के.वि. विद्यार्थियों को भी नए प्रवेश के समय प्रदान किया जाए)

ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग(PH) से संबंधित विद्यार्थियों को 11वीं में विज्ञान/वाणिज्य संकाय में प्रवेश के लिए 0.4 तक सीजीपीए में ग्रेड उच्च/अपग्रेड दिया जाएगा।

नोट: हिन्दी संस्करण में संदेह की स्थिति में अँग्रेजी संस्करण मान्य होगा ।

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

NEW DELHI

CONTENTS

PART-A GENERAL GUIDELINES

PART-B SPECIAL PROVISIONS

PART-C ADMISSION PROCEDURE

GUIDELINES FOR ADMISSION IN
KENDRIYA VIDYALAYAS

PART- A

GENERAL GUIDELINES

1. In supersession of all the guidelines governing admissions in Kendriya Vidyalayas that have been issued in the past, the following guidelines are issued to regulate admissions in the Kendriya Vidyalayas with effect from the academic session 2017-18. These guidelines are not applicable to Kendriya Vidyalayas located abroad.

2. DEFINITIONS

Unless the context suggests otherwise, the definition of the following terms used in these guidelines would be as below:-

- (i) **CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES**: An employee who draws his emoluments from the consolidated fund of India.
- (ii) **TRANSFERABLE**: An employee who has been transferred at least once in the preceding 7 years shall be deemed to be transferable.
- (iii) **TRANSFER**: An employee would be treated as transferred only if he/she has been transferred by the competent authority from one place/urban agglomeration to another place/urban agglomeration which is at a distance of at least 20 kms. and minimum period of stay at a place should be six months.
- (iv) **AUTONOMOUS BODIES / PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS**
Organizations which are fully financed by the government or where the government share is more than 51 per cent would be deemed to be autonomous bodies/ public sector undertakings.
- (v) **SINGLE GIRL CHILD**: Single Girl Child means the only child i.e. only girl child to the parents, with no other siblings.

3. PRIORITIES IN ADMISSION

The following priorities shall be followed in granting admissions:-

(A) KENDRIYA VIDYALAYAS UNDER CIVIL/DEFENCE SECTOR:

- 1. Children of transferable and non-transferable Central government employees and children of ex- servicemen. This will also include children of Foreign National officials, who come on deputation or transfer to India on invitation by Govt. of India.

2. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies / Public Sector Undertaking/Institute of Higher Learning of the Government of India.
3. Children of transferable and non-transferable State Government employees.
4. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings/Institute of Higher Learning of the State Governments.
5. Children from any other category including the children of Foreign Nationals who are located in India due to their work or for any personal reasons. The children of Foreign Nationals would be considered only in case there are no Children of Indian Nationals waitlisted for admission.

Note: Preference in Admission to wards will be based on the number of transfers of the parents in the last 7 years.

(B) KENDRIYA VIDYALAYAS UNDER PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS/ INSTITUTES OF HIGHER LEARNING:

Children and grandchildren of employees of the Project Sector/Institutes of Higher Learning which are the sponsors of the Vidyalaya, Children of Project employees & Post Graduate students who are working on long term research projects, Children of regular Council of Wardens (COW) employees and children and grand children of retired employees.

Note: Preference in Admission will be given to children of serving employees, grand children of serving employees and children and grand children of retired employees in that order.

2. Children of transferable and non-transferable Central government employees and children of ex- servicemen. This will also include children of Foreign National officials, who come on deputation or transfer to India on invitation by Govt. of India.
3. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/Public Sector Undertaking/Institute of Higher Learning of the Government of India.
4. Children of transferable and non-transferable State Government employees.
5. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings/Institute of Higher Learning of the State Governments.
6. Children from any other category including the children of Foreign Nationals who are located in India due to their work or for any personal reasons. The Children of Foreign Nationals would be considered only in case there are no children of Indian Nationals waitlisted for admission.

Note: Preference in Admission to wards will be granted based on the number of transfers of the parents in the last 7 years.

4. ELIGIBLE AGE FOR ADMISSION

A Child must be 5 years old as on 31st March in the academic year in which admission is sought for Class I.(Child born on 1st April should also be considered.)

A. The minimum and maximum age limit for admission in KendriyaVidyalayas in various classes is given below:(Child born on 1st April should also be considered.)

CLASS	MINIMUM AGE ON 31ST MARCH OF THE YEAR IN WHICH ADMISSION IS SOUGHT	MAXIMUM AGE ON 31ST MARCH OF THE YEAR IN WHICH ADMISSION IS SOUGHT
I	5 years	7 years
II	6 years	8 years
III	7 years	9 years
IV	8 years	10 years
V	9 years	11 years
VI	10 years	12 years
VII	11 years	13 years
VIII	12 years	14 years
IX	13 years	15 years
X	14 years	16 years

Note: The maximum age limit can be relaxed by two years in case of Differently abled children by the Principal.

B. There is no age restriction for admission to Class XI provided the student is seeking admission in the year of passing Class X examination. Similarly, there will be no upper & lower age limit for admission to class XII provided there has been no break in the continuous study of the student after passing class XI.

5. CLASS STRENGTH AND COMPETENT AUTHORITIES

CLASS STRENGTH	AUTHORITY	DATE (S)	REMARKS
UP TO 40	PRINCIPAL	UP TO 31 ST JULY	REGISTERED AND ELIGIBLE CANDIDATES SUBJECT TO AVAILABILITY OF VACANCIES
UP TO 45	PRINCIPAL	UPTO 30 TH NOV	THIS PROVISION IS APPLICABLE ONLY FOR THOSE PARENTS OF CAT I IN CIVIL & DEFENCE SECTOR AND CAT I & II IN PROJECT & INSTITUTES OF HIGHER LEARNING WHO HAVE BEEN TRANSFERRED DURING THE CURRENT SESSION AFTER THE REGISTRATION PROCESS IS OVER. THE ADMISSION WILL BE GRANTED ON FIRST- CUM FIRST SERVE BASIS IMMEDIATELY AS AND WHEN PARENT APPROACHES FOR ADMISSION IN THE VIDYALAYA.

6. RESERVATIONS IN ADMISSION

A. SCHEDULED CASTE AND SCHEDULED TRIBE CATEGORY

15% seats for Scheduled Caste and 7.5% seats for Scheduled Tribes shall be reserved in all fresh admissions in all Kendriya Vidyalayas.

B. DIFFERENTLY ABLED CATEGORY

3% seats of total available seats for fresh admission will be horizontally reserved for Differently Abled-children as per the provisions of RTE Act, 2009 read in conjunction with Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.

7. ADMISSION WITH KV TRANSFER CERTIFICATE INCLUDING LOCAL TRANSFER (TC).

- (i) Admission of children with KV TC will be automatic (over and above Class strength) if the parent has been transferred from one station to another. When the class strength reaches 55, efforts should be initiated to open additional sections.
- (ii) Defence personnel and Para-military Forces who shift their families to a station of their choice whenever they are transferred to some non-family areas or posted in Naxal affected areas, can admit their children on KV TC in a KV located at the station where they keep their family.
- (iii) In all other cases where transfer of the parent is not involved, admission with KV TC would be done only with prior approval of the Deputy Commissioner of the region concerned.

- (iv) All cases of local transfer on KV TC will be done with the approval of DC concerned on merit.
- (v) A student with KV TC may also be permitted in project KVs only up to class strength of 45 with the prior concurrence of Chairman, VMC. Beyond this no admission on KV TC would be done in project schools. However, Deputy Commissioner of the region is empowered to allow admission in the project/nearest KV in extremely deserving cases.

8. EQUIVALENCE OF N.I.O.S / STATE BOARDS / ICSE FOR ADMISSION IN CLASS XI IN KENDRIYA VIDYALAYAS

The students of State Boards/ICSE/NIOS where marks are awarded be considered for admission in class XI if vacancies exist. The marks awarded in various subjects are considered against the corresponding Grade awarded by CBSE.

* Marks of different subjects are to be converted into grades as per CBSE norms as given below:

Conversion of marks into Grades:

Marks range	Grade	Marks range	Grade
91-100	A ₁	51-60	C ₁
81-90	A ₂	41-50	C ₂
71-80	B ₁	33-40	D
61-70	B ₂	21-32	E ₁
		0-20	E ₂

9. ADMISSION FOR CLASS X AND XII

Admissions to class X & XII (other than KV students) will be entertained subject to availability of vacancies. Such admissions to class X and XII will be considered by the Deputy Commissioner of the Region concerned only if the average strength in class X/XII is below 40. This will further be subject to the following conditions:

- i The child has been in the same course of studies i.e. in a CBSE-affiliated school.
- ii For Class X, the child must have obtained not less than 6.5 CGPA in class IX (CGPA be calculated as per formula applied by CBSE in class X).
- iii For admission to class XII, 55% marks in class XI examination is mandatory.
- iv The child should otherwise be eligible as per KVS admission guidelines.
- v The combination of subjects opted by the student is available in Kendriya Vidyalayas.

10. ADMISSION OF CHILDREN STUDYING ABROAD

A KV Student, who accompanies his/her parents on their deputation to a foreign country will be admitted to corresponding class on their return to India in the Kendriya Vidyalaya, where admission is being sought (such admissions will be over and above the class strength)

11. ADMISSION FOR VACANT SEATS

In case seats remain vacant after 31st July in the year of admission, Deputy Commissioner of the Region is empowered to allow admission upto the prescribed strength as per priorities in admission upto 31st August.

Note: In case of any issue related to the interpretation of admission Guidelines, the decision of Commissioner KVS will be final.

PART- B

SPECIAL PROVISIONS

1. Following categories of children would be admitted over and above the class strength except where stated otherwise in the provision itself (e.g. Item No. XVI).
 - i. The children and dependent grandchildren of Hon'ble Members of Parliament.
 - ii. Children and grandchildren (children of son or / and daughter) of serving and retired KVS employees.

The Children and grandchildren of serving and retired employees of KVS (Kendriya Vidyalayas, Regional Offices, ZIETs and KVS (Hqrs.) will be considered for admission at any time of the year irrespective of the class strength/year of transfer/recruitment. However, for class IX, the child has to clear the admission test. (The wards of Officials/Officers who come on deputation to KVS also be treated at par with regular KVS employees).
 - iii. Children of Central Government employees who die in harness.
 - iv. Children of recipients of Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, Veer Chakra, Ashok Chakra, Kirti Chakra & Shourya Chakra, Sena Medal (Army), NavSena Medal (Navy), VayuSena Medal (Air Force).
 - v. Children of recipients of President's Police medal for gallantry & Police medal for gallantry.
 - vi. Meritorious sports children who have secured I, II & III position in SGFI/CBSE/National/State level games organized by the Government.
 - vii. Recipients of Rashtrapati Puraskar in Scouts & Guides.
 - viii. Single girl children in class I and from class VI onwards subject to a maximum of two per section in class I and two per class in class VI and onwards. It includes twin girl children also.
 - (a) In case of twin girls, it will be treated as one admission.
 - (b) While drawing the lot, name of both girls (twin) should be written on a single slip
 - (c) In case of single girl child (including twin girl children), if number of applications are more than the number of allotted seats i.e. maximum of 02 per section in class I and 02 per class in class VI onwards, the admission should be granted on the basis of priority category. If in one category more applications are made, all such applications should be taken together and the list of selected candidates should be prepared through draw of lots.
 - ix. Children who are recipients of National Bravery Award, or of Balshree Award instituted by National BalBhawan.

- x. Children whose parent is a teacher, and is a recipient of National Award for teachers.
- xi. Children who have shown special talent in Fine Arts and have been recognized at the National or State level.
- xii. 100 children of employees of the Ministry of HRD would be admitted every year on orders issued by the KVS (HQ) up to 31st July.
- xiii. 60 admissions in Kendriya Vidyalayas located anywhere in India and 15 admissions in hostels of Kendriya Vidyalayas, would be granted to employees of Ministry of External Affairs each year, by orders of KVS (HQ). These would be regulated as follows:-
 - a) 60 admissions in Kendriya Vidyalayas located anywhere in India be utilized exclusively for children returning from abroad along with their parents after their posting. Seats under this provision remaining unutilized at the time of normal admissions will remain as such and will be utilized for children who return to India after the beginning of the academic session and up to 30th September. Children who return to India after 30th September would be considered for admission up to 30th November. No special consideration will be given to MEA staff under this priority. All these admissions will be subject to the condition that not more than 5 children would be admitted in one school in a year and that the children would be submitting a transfer certificate of a school abroad, in which they had been studying prior to seeking admission in a Kendriya Vidyalaya.
 - b) 15 seats for admission in hostels in Kendriya Vidyalayas would be allotted to the children whose parents are going abroad on posting to a station which does not have adequate educational facilities. The required information in this respect would need to be given by the Ministry of External Affairs.
- xiv. 15 children of the employees of the Research and Analysis Wing (RAW) would be admitted on orders to be issued by the KVS Hqrs. Of these, a maximum of 5 seats would be given in Delhi and the remaining would be outside Delhi.
- xv. "In case adequate number of applications for admission of eligible children are not available for provisions under (XII), (XIII), and (XIV), Kendriya Vidyalaya Sangathan may nominate additional names up to the prescribed limit to ensure full utilization of these provisions".
- xvi. (a) 05 seats in each section of class I, within the approved class strength (40) will be filled by the children of Sponsoring Agency in all schools except those specifically notified otherwise by the Commissioner.
 (b) Similarly, 10 seats in all other classes put together (not more than 02 seats in each section) can be recommended by the Chairman VMC for the wards of employees of the sponsoring Agency. These admissions will be over and above the class strength, if otherwise eligible as per KVS Admission Guidelines.
- xvii. Chairman, Vidyalaya Management Committee can recommend maximum two admissions in the concerned Kendriya Vidyalaya/Shift under his discretionary quota. These two admissions may be recommended in one class or all classes put

together. The children so recommended should be otherwise eligible as per KVS Admission Guidelines (Upto 30th September).

- xviii. Wherever land has been sponsored by DDA for KendriyaVidyalayas located in Delhi, admission to children of regular DDA employees would be restricted to 5 seats per section in class I and 5 seats in all other classes put together. Admission in class I would be within the approved strength of the section while for other classes this would be over and above the class strength.
- xix. Each Hon'ble Member of Parliament can refer 10 (ten) cases for admission under the scheme in an academic year but such recommendations shall be confined to children whose parents belong to his constituency either by domicile or on account of having been soon-before posted there or else on account of exigencies of service, migrate to his constituency. Such recommendations would be for admissions in KendriyaVidyalaya(s) located in his constituency only. In case there is no KendriyaVidyalaya in the constituency of the Hon'ble M.P.(LokSabha), he/she may recommend these admissions in the KendriyaVidyalaya(s) located in any neighbouring contiguous constituency. For Member of the RajyaSabha, the State from which the member has been elected would be deemed to be his constituency for this purpose. Nominated members of the RajyaSabha and LokSabha can recommend 10(ten) cases for admission in any one or more KendriyaVidyalayas of the Country.
- a. These admissions shall be over and above the class strength.
 - b. These recommendations would be made for all classes except pre-primary, and classes X and XII.
 - c. These admissions would be made at the beginning of the academic year and no admission would be allowed after the prescribed cut-off date (i.e 31st July) of the year.
 - d. The recommendations made shall be valid only if these are made in the prescribed format provided to each Member of Parliament by KVS (HQ). Recommendations sent in any other format / manner shall not be considered.
 - e. The children recommended by Hon'ble Members of Parliament must be otherwise eligible for admission as per the extant KVS Admission Guidelines.
- xx. Each Directorate of education of Armed Forces i.e Army, Air Force and Navy and Coast Guards can refer 06cases in admission in an academic year for all classes except pre-primary and classes X and XII. The Directorate of education of Armed Forces i.e Army, Air Force, Navy and Coast Guard can recommend 06 names for admission of wards of Defence Personnel who are otherwise eligible for admission in KendriyaVidyalayas located in Defence Sector. These admissions would be over and above the class strength and would be completed by 31stJuly. However, under this provision no admission will be made in class X and XII.

2. ADMISSION OF WARDS OF ARMED / PARA MILITARY FORCES

Automatic admission of children in the Kendriya Vidyalayas on the basis of transfer certificate issued by the CBSE affiliated schools run by Armed Forces (Army, Air Force, Navy) and Para Military Forces i.e. CRPF/BSF/ITBP/SSB (Sashastra Seema Bal) and CISF will be entertained only if the parent has been transferred to that place or has desired to settle at the place after his retirement, or transferred to some non-family station or posted in Naxal affected areas and choose to keep the family elsewhere.

This provision shall be applicable to schools run by Indian Coast Guard also. This provision may also be extended to the children of government employees studying in schools run by ISRO/AEES (Atomic Energy Education Society).

It is clarified that above provisions are only for the wards of Defence personnel / Para Military Forces i.e. CRPF/BSF/ITBP/SSB (Sashastra Seema Bal) and CISF viz. sons & daughters only. This will not include the grand children of Defence personnel. Provisions of KVS admission guidelines including the eligibility criteria for age and marks/Grades will be followed in letter and spirit. Also the fee including VVN is to be paid from the month of admission of the child in the Kendriya Vidyalaya regardless of the fact that the fee for succeeding months have already been paid in the school from which TC has been issued for admission to KV. TCs issued by the CBSE schools of Defence Ministry/Deptts/Authority will be endorsed by the Deputy Commissioner of the region concerned where admission is sought.

3. ADMISSION OF PRE PRIMARY STUDENTS IN CLASS-I.

The policy of automatic admission of pre-primary students in class-I has been withdrawn w.e.f. session 2008-09. Now all admissions in class-I shall be treated as fresh admissions and shall be dealt with as per rules in vogue.

- 4. CHILDREN WHO WERE EARLIER STUDYING IN KENDRIYA VIDYALAYA** but due to (a) transfer of parent or (b) relocation due to exigency caused by posting of parent to field area, were compelled to study in a school other than Kendriya Vidyalaya because no KV was available at that station, be considered for automatic admission in a Kendriya Vidyalaya consequent upon the transfer/movement of the parent subsequently to a place where a Kendriya Vidyalaya exists (Over and above the class strength). A proof to this effect has to be provided by the parent.

PART - C

PROCEDURE FOR ADMISSIONS

1. PUBLICITY

An advertisement shall be issued by the Regional Office in the local newspapers in the 1st week of February giving the admission schedule and inviting Parents to register their wards for admission in Kendriya Vidyalayas. This advertisement should specifically indicate that admissions in Kendriya Vidyalayas are not restricted to Central Govt. employees and are open to all, only certain priorities have been laid down for different categories to regulate the admissions. The reservations for SC, ST and Differently Abled under RTE Act 2009 should also be indicated.

2. REGISTRATION

- (i) Registration shall not be done if there is no vacancy or likelihood of any vacancy in a particular class. In case a vacancy arises in future, registration can be made after giving wide publicity at local level and admission can be granted as per KVS Admission Guidelines.
- (ii) In case the number of children seeking registration is less because of which all seats have not been filled up, the Principal shall issue a second / third advertisement in the month of May and June notifying the availability of vacancies.
- (iii) Admissions are required to be made with the approval of the Executive Committee of the Vidyalaya. In case the Executive Committee does not approve the admissions up to the full sanctioned strength of the class, the Principal shall intimate this fact to the Deputy Commissioner who may approve the admissions.
- (iv) Registration for class XI shall be taken up immediately after the declaration of results of class X and admissions up to the full strength of the class should be completed within 30 days after declaration of results by CBSE. In case there is any difficulty in admitting children up to the full strength because of the Executive Committee of the Vidyalaya not approving the same, the procedure as laid down for other classes above shall be followed and admissions up to the sanctioned strength of the class shall be made by 31st July with the approval of the Deputy Commissioner.
- (v) Registration forms shall be made available by the Principal FREE OF COST. (Applicable to offline cases only).
- (vi) Registration forms complete in all respects and accompanied by all required documents must be submitted/sent to the Vidyalaya concerned within the prescribed date as per notification of KVS.
- (vii) Self Attested copies of the prescribed documents would be required to be submitted along with the application form for registration.

3. DOCUMENTS

- For Class I, certificate of proof of age in the form of a birth certificate issued by the authority competent to register births. This will include certificates from Notified Area Council / Municipality / Municipal Corporation/ extract about the date of birth from records of Village Panchayat, Military Hospital and service records of Defence personnel. For other classes, the date of birth recorded in the transfer certificate issued by a school recognized by the State Education Department would be accepted. The original certificate of date of birth should be returned to the parent after verification. Admissions up to class-VIII may be granted without any school transfer certificate provided the child is otherwise eligible and his birth certificate has been issued by a Govt. body.
- For grandchildren of Hon'ble Member of Parliament and PSU employees a proof of relationship of either of the child's parents with the Hon'ble Member of Parliament or PSU employees would be needed.
- For grandchildren of KVS employee a proof of relationship of either of the child's parent with the KVS employee (serving or retired) would be required.
- A certificate that the child belongs to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/EWS/OBC (Non-Creamy Layer)/BPL wherever applicable, issued by the competent authority in concerned State Government/Union Government. The certificate in respect of either of the parents may be accepted initially for the purpose of admission, if this certificate is not available for the child. However, the certificate in respect of the child has to be submitted within a period of 03 months from the date of admission.

A certificate from the civil surgeon/rehabilitation centre or any other competent authority defined by the Government of India O.M. No. 36035/5/88/Estt.(sct) dated 4.5.1999 certifying the child to be handicapped, wherever applicable. In case, where the handicap of the child can be visually seen by the Principal, the child may be accepted as handicapped even without a certificate. However, the parent may be advised to obtain the relevant certificate from the competent authority and submit the same to the school.

- A service certificate showing the number of transfers during the preceding 7 years duly signed and stamped by the head of office bearing the name, designation and other relevant particulars in block letters.
- A certificate of retirement for uniformed Defence employees.
- Proof of Residence.

Note:

- (i) Mere registration will not confer a right to admission.
- (ii) Incomplete application forms shall be rejected. In case vacancies remain, Principal may allow completion of the form later at his discretion.
- (iii) Admission secured on the basis of any wrong certificate shall be cancelled by the Principal forthwith and no appeal against such action of the Principal shall be entertained.
- (iv) When a child is registered for admission in class I in a Kendriya Vidyalaya and before declaration of the selection list its parent is transferred to another station, the child should be deemed to have been registered for admission in the Kendriya Vidyalaya at the station of posting even if the last date of registration at that place has expired. The registration form in original is transferred to the Kendriya Vidyalaya of new place of posting and a photo copy of the same be retained in the school where the child was initially registered.
- (v) In respect of Category I, II, III and IV admissions, the veracity of the Certificates submitted by the parents in proof of their service must be invariably verified by the Principal.

4. METHOD OF ADMISSION IN CLASS I

Out of the available seats of fresh admission 15% will be reserved for SC and 7.5% will be reserved for ST. The short fall in the number of seats reserved for SC and ST, will be worked out after considering number of SC/ST children admitted under RTE quota.

- (1) **In first phase**, 10 seats (out of 40 seats) in Class I per section are to be filled as per RTE Provisions (25% of seats) and these 10 seats will be filled by draw of lots from all applications of SC/ST/EWS/BPL/OBC(Non Creamy Layer)/Differently abled(who are residents of Neighbourhood) taken together.
- (2) **In second phase**, remaining seats are to be filled as per existing Priority category system. The short fall in the seats reserved for SC/ST, if any, shall be made good by admitting SC/ST applicants.

For example: In a single Section School 6 seats are reserved for SC and 3 Seats for ST (15% for SC and 7.5% for ST). Assuming that, 2 SC candidates, 1 ST candidate and 1 Differently Abled candidate are admitted under RTE in the lottery system in first phase, then available SC seats will be considered as $6-2 = 4$ and ST seats will be $3-1 = 2$. The left out registered candidates from SC and ST category will be considered as per order of Priority categories for admission. In this case the remaining 24 seats will be available for admission under order of Priority of Category.

Note-1:

- a) In no case the seats reserved as per RTE will be de-reserved.
- b) The seats reserved for SC/ST may be interchanged, by interchanging SC seats to ST and vice-versa after 20th July
- c) If required number of candidates covered under RTE do not register in 1st spell of registration then a second notification may be given in the month of April.

- d) The definition/eligibility criteria of Disadvantaged Group/Weaker Section/BPL/OBC (Non creamy layer) will be as per the notification of the State Government concerned.(The DC KVS RO Concerned may issue guidelines regarding BPL/EWS as per the latest notification of the State Government concerned).
- e) Admission test will not be conducted for Class I.

Note-2:

A DEFINITION OF DISADVANTAGED GROUP

1. Child belonging to disadvantaged group means a child belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Socially and Educationally backward class or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economic, geographical, linguistic, gender or such other factor as may be specified by the appropriate government, by notification (Section 2(d) of RTE Act).
2. Child with special needs and suffering from disability will be determined as per the provision mentioned in RTE Act 2009 or as defined by the State Govt concerned.

B DEFINITION OF WEAKER SECTION

- ▶ Child belonging to weaker section means a child belonging to such a parent or guardian (declared by a Court or a Statute) whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate government, by notification (Section 2(e)).
- ▶ The income limit regarding economically weaker sections will be applicable as notified by the State Govt. concerned.

C. DEFINITION OF NEIGHBOURHOOD & PROOF OF RESIDENCE((APPLICABLE FOR ADMISSION UNDER RTE ONLY)

Since KendriyaVidyalayas are located at places with varied density of population, they have been categorized as follows for determining the limits of neighbourhood:-

- | | |
|---|---------------------|
| 1 Major cities and Urban area | 5 Kms Radius |
| (All District Hqrs. & Metros) | |
| 2 Places and areas other than included in 1 above. | 8 Kms Radius |

Note:

1. Proof of residence shall have to be produced by all applicants. However admission cannot be denied due to non-submission of Proof of residence.
2. A self-declaration in writing from the parent about distance may also be accepted.

5. COMPOSITION OF COMMITTEE FOR DRAW OF LOTS

Every Kendriya Vidyalaya will constitute a Committee for the purpose of monitoring a system of Draw of Lots to be held in Class I or in any other class wherever such stage is reached when all candidates of a particular category or having same number of transfers cannot be accommodated against available number of seats.

The Committee will comprise the following five (05) members:-

1.	Principal	Convener
2.	Teacher	Member (To be nominated by Principal)
(3 & 4)	Two parents (One lady)	Members (One parent has to be from the candidates to be considered under section 12(1)(c) of RTE Act 2009)
5.	VMC member	Member (To be nominated by Chairman, VMC)

- An additional 6th member can be nominated by the Principal from the students of class IX to XII wherever these classes exist.
- This Committee may be notified with the concurrence of Chairman, VMC, at least 5 days in advance of draw of lots and the same be displayed on School Notice Board.

6. FEE AND OTHER CONCESSIONS :

- ▶ No fee to be charged from the children admitted under the 25% quota prescribed under RTE Act 2009
- ▶ One set of NCERT text books for his/her class to each child will be provided by the school and other expenses on account of note books, stationary, uniform and transport will be reimbursed on production of proper bills in respect of 25% of the children admitted under the Act subject to the ceiling prescribed.
- ▶ Once the children are admitted in Class I under RTE Act, they will continue to enjoy exemptions and concessions till class VIII either in the same KV or any other K.V. moving on transfer.
- ▶ Address proof of the parent should be furnished at the time of registration.
- ▶ The employees who have the facility of fee reimbursement in their departments cannot claim RTE concessions.

7. METHOD OF ADMISSION IN CLASS II TO VIII

Admission test shall not be conducted for admission to Class II to VIII and the admission may be granted based on Priority category system (1 to 5 or 6 as the case may be). If applications are more than the number of seats, lottery system will be followed in each category including single girl child quota (Class VI onwards).

8. METHOD OF ADMISSION IN CLASS IX

For admission to Class IX, an admission test shall be conducted and a merit list will be prepared for each category of priority separately. Admission shall be granted in the sequence of priority categories in the order of merit.

- (i) Admission test shall be conducted in the subjects: Hindi, English, Maths, Social Science and Science.
- (ii) There will be only one paper of Admission test of 3 Hours duration & 100 marks comprising Hindi, English, Maths, Social Science & Science each of 20 marks.
- (ii) Candidates must secure 33% marks in aggregate to qualify. Students belonging to SC/ST/Divyang category(PH) will be eligible for admission on securing 25% in aggregate.

9. I. METHOD OF ADMISSIONS IN CLASS XI

KV Students: Admission in different streams viz Science, Commerce, Humanities of Class XI in KVs will be based on CGPA scored in class X examination as under:

- a. **Science Stream :** A Minimum of 7.6 CGPA
- b. **Commerce Stream :** A Minimum of 6.4 CGPA
- c. **Humanities Stream:** All students of KV if declared successful in class X exam

Note:-If seats remain vacant in class XI even after admitting the children of KV/ neighbouring KVs, then the admissions to non - KV children may be granted on the same criteria in the sequence of categories of priority.

However, there could be instances of lower enrolment in Class XI in some KVs, especially those located in hard stations and remote areas after applying the above criteria for admission. In such an eventuality, Principal of the KV concerned should send the proposal of lowering the eligibility criteria for various streams along with the details of registration, No. of eligible students, etc. to the Deputy Commissioner of the region. The Deputy Commissioner may use her/his discretion in lowering the eligibility criteria to the extent as indicated below:-

- a. Science Stream: A Minimum of 6.4 CGPA
- b. Commerce Stream: A Minimum of 6.0 CGPA
- c. Humanities Stream: All students of KV if declared successful in Class X exam.

Note:-If seats remain vacant in class XI even after admitting the children of KV/ neighbouring KVs then the admissions to non - KV children may be granted on the same criteria, in the sequence of categories of priority.

Concessions wherever applicable shall be incorporated while preparing the Merit List.

- a. In case of two or more candidates obtaining equal CGPA, the inter-se merit of such candidates may be determined as follows:
- (i) Candidates obtaining higher grade points in Maths will get precedence in admission.
 - (ii) If two or more candidates have got the same grade points in Maths, then the candidates securing higher grades in Maths and Science taken together will get precedence over the others.
 - (iii) In case of a tie between two or more candidates obtaining same grade points in maths and science taken together, the student older in age as per the D.O.B will be given precedence over the other.
- b. Principal may admit children to class XI only up to the permitted class strength.
- c. A student who was earlier not found eligible for admission to a particular stream may be allowed fresh admission to a particular stream in class XI in the next academic session, if he/she improves his/her performance within one year from the same Board.

Note: Informatics Practices as an elective subject is offered to all streams. Admission to this would be granted as per the combined merit list.

Computer Science / Bio-Technology, wherever available as an elective subject, is to be offered to students of Science Stream and admission would be granted as per combined merit list. Multi-media & Web-Designing Technology (wherever available) as elective subject may be offered to students of all the streams (Commerce, Humanities & Science) as per combined merit list.

II. THE FOLLOWING CONCESSIONS WILL BE ALLOWED FOR ADMISSION FOR CLASS XI.

- (a) The following concession will be granted to students for admission who participated in Games & Sports meet/Scouting & Guiding/NCC/Adventure activities at various levels. The certificate needed for this purpose can be of any of the preceding years.

S.No	Sports & Games	NCC	Scouting/ Guiding	Adventure Activities	Concession for admission to Science/ commerce stream of marks/Grade Points
a.	Participation at SGFI or equivalent level.	'A' certificate and participation in Republic/PM Rally	Rashtrapati Puraskar award certificate	NIL	0.8 points in CGPA
b.	Participation at KVS National/ State level	'A' certificate and best Cadet in Distt/State level	Rajya Puruskar award certificate with 07 proficiency badges.	NIL	0.6 points in CGPA
c.	Participation at KVS Regional/ District Level	'A' certificate	Tritiya Sopan certificate with 05 proficiency badges	Participation in at least one 10-days adventure activity	0.2 points in CGPA

Maximum concession under Sports/Games/NCC/Scout/Guide/Adventure will not exceed 0.8 points in CGPA. In case of eligibility for more than one concession under different categories as mentioned at (a) and (b) above, only one concession having maximum advantage to the candidate will be allowed (The same benefit may be extended to non-KV Students for fresh admission in KVs).

- (b) Students belonging to SC/ST/Divyang(PH) would be given up-gradation in CGPA by 0.4 for the purpose of admission to class XI Science/Commerce Stream.